Mandla Nagar Palika

JABALPUR Division

Fire Safety Certificate

अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र

जावक क्रमांक/Dispatch Number	जावक तिथि / Dispatch Date	आवेदन तिथि / Application Date
CB-2600000206/FNOC/COL/2026/17325	29/06/2026	08/06/2026

आवेदन क्रमांक / Application No. :	CB-2600000206	**अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC :**	Fire Safety Certificate
अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy :	Educational Building / शैक्षिक भवन	**भवन की ऊँचाई (मीटर) / Building Height (Mtr) :**	10.0
निर्मित क्षेत्र (वर्ग मीटर) / Built-up Area (Sq.Mtr) :	3843.0	**सड़क के स्तर से भवन की ऊंचाई (मीटर) / Building height From Road level(Mtr) :**	12.0
भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर) / Plot Area (Sq.Mtr) :	10103.0		
आवेदक का नाम / Applicant Name :	NIRMALA SENIOR SECONDARY SCHOOL		
संपत्ति का पता / Property Address :	NIRMALA SENIOR SECONDARY SCHOOL PLOT NO. 1/3 BLOCK NO. 22-B RAJENDRA WARD LALIPUR		

प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority

अग्निसुरक्षा प्रमाण-पत्र (Fire Safety Certificate) निम्नलिखित शर्तों पर जारी किया जाता है :-

1.अग्नि योजना अनुमोदन में प्रावधानित बिन्दुओं, NBC 2016 –Part -VI, Table -7 एवं भूमि विकास नियम -2012 के प्रावधान अनुसार स्थल निरीक्षण के दौरान भवन में नियमानुसार आवश्यक अग्निशमन उपकरण स्थापित पाये गये

Signature valid

Signed by: Parmesh Jaiswal
Reason: Apply for NOC
Location: 0474
Date: 29-06-2026 18:10:33

E-sign

Joint Director, Mandla Nagar Palika
Jabalpur Division, Madhya Pradesh

2.भवन में स्थापित समस्त अग्निशमन उपकरणअॅ का रखरखाव नियमित अंतरल में एवं हमेशा ऑपरेशनल/ चालू स्थिति में रखा जाना अनिवार्य होगा, जिसका रिकार्ड विधिवत रखा जाना चाहिए। भवन में कार्यरत /उपलब्ध समस्त अधिकारियअॅ/कर्मचारियअॅ को अग्निशमन उपकरणअॅ के संचालन का प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य होगा।

3.भवन में सम्भावित अग्निदुर्घटनाओ के प्रभावी नियंत्रण हेतु आपातकालीन योजना बनाना आवश्यक है, जिसमें शामिल समस्त विन्दुओं जैसे मॉक ड्रील, लाईफ सेफ्टी ड्रील, अग्निशमन उपकरणअॅ का संचालन, प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं अग्निदुर्घटना की स्थिति में स्थल में कार्यरत कर्मचारियअॅ को सुरक्षित बाहर निकालने/निकलने का अभ्यास नियमित अंतराल में किया जाना आवश्यक होगा।

4.भवन की अग्निसुरक्षा व्यवस्था हेतु स्थापित स्टैण्डपाइप एवं सक्शन/राइजर/ डाउनकमर/स्प्रिंकलर पाईपअॅ का हाइड्रोस्टैटिक परीक्षण 25 में प्रावधानित नियमो के आधार पर प्रति पांच वर्षो में एक बार कराना अनिवार्य होगा

5.भवन की फस्ट एड अग्निसुरक्षा व्यवस्था हेतु भवन के अग्निदुर्घटना सम्भावित स्थलअॅ जैसे इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड, पैनल, स्टोर रूम, रसोई घर एवं कोरीडोर में IS :2190 में प्रावधानित नियमअॅ के आधार पर रखे गये फायर एक्सटिंग्युशर को निर्धारित अवधि में रखरखाव, टेस्टिंग तथा रिफिलिंग का कार्य किया जाना अनिवार्य होगा।

6.भवन में फायर वाहन की बाधा रहित आवागमन हेतु भवन के स्वीकृत मानचित्र म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 एवं नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा मार्गदर्शिता अनुसार प्रावधानित MOS को हमेशा बाधा रहित रखना अनिवार्य होगा एवं भवन के सभी फ्लोर एरिया के बाहरी निकासअॅ को हमेशा निर्वाध रूप से खुला रखा जाना आवश्यक होगा।

7.भवन की अग्निसुरक्षा व्यवस्था हेतु प्रतिवर्ष 30 जून तक फायर सेफ्टी ऑडिट (जिसमें अग्निशमन उपकरणअॅ की जांच, फायर अलार्म सिस्टम एवं अग्निसुरक्षा प्रक्रियाओं की समीक्षा आदि शामिल हअॅ) एवं इलेक्ट्रीकल सेफ्टी ऑडिट (विद्युत उपकरणअॅ/तारअॅ की जांच एवं विद्युत सुरक्षा प्रक्रियाओं की समीक्षा) निर्धारित अवधि एवं प्रपत्रो में करना आवश्यक होगा, ताकि सुरक्षा मानकअॅ का पालन सुनिश्चत किया जा सके।

8.भवन में हाउस कीपिंग का विशेष ध्यान रखा जाना आवश्यक है साथ ही परिसर के अंदर धूम्रपान एवं चिंगारी पैदा करने वाले उपकरण पूर्णतः प्रतिबंधित होने चाहिये और परिसर को झाडियअॅ, सूखी वनस्पतियअॅ एवं ज्वलनशीन पदार्थों से मुक्त रखा जाना आवश्यक है।

9.अग्निसुरक्षा संचालन व्यवस्था हेतु भवन की श्रेणी अनुसार प्रशिक्षित अग्निशमन अधिकारी/कर्मचारियअॅ को नियमित रूप से रखना अनिवार्य है एवं नियंत्रण कक्ष में Emergency Kit,PPE एवं First Aid को नियमानुसार हर समय उपलब्ध रखना आवश्यक होगा।

10.भवन की अग्निसुरक्षा में कार्यरत कर्मचारियअॅ की ड्यूटी निर्धारित किया जाना आवश्यक है, अग्निशमन उपकरणअॅ की प्रेशर टेस्टिंग, हाईड्रोस्टेटिक टेस्टिंग, फायर पंप का प्रेशर सेटिंग, पानी की उपलब्धता एवं रिफिलिंग आदि कार्य का चेकिंग सिस्टम तैयार कर, टेस्ट रिपोर्ट रोजाना, सप्ताहिक, महीनेवार एवं वार्षिक का संधारण रजिस्टर में नियमित रूप से अंकित करना अनिवार्य होगा।

11.आवेदकअॅ/भवन स्वामी को प्रदाय किया जा रहा अग्निसुरक्षा प्रमाण-पत्र (Fire Safety Certificate) जारी दिनांक से 3 (तीन) वर्ष की अवधि के लिए प्रभावशील रहेगा। अवधि समाप्त होने के 1 माह पूर्व अग्निसुरक्षा प्रमाण-पत्र (Fire Safety Certificate) के नवीनीकरण हेतु enagarpalika.mp.gov.in में विधिवत आवेदन करना होगा।

Signature valid

Signed by: Ramesh Jalore
Reason: Apply for NOC
Location: 0474
Date: 29-06-2026 18:10:33

E-sign

Joint Director, Mandla Nagar Palika
Jabalpur Division, Madhya Pradesh